UPGK010049522026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2162/2026,

रफीक पुत्र लड्डन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बंजरिया थाना बखिरा जनपद- संत कबीर नगर।

आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 473/2025,
धारा- 305,331 (4),317 (2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- गगहा, जनपद- गोरखपुर।

08.06.2026

आदेश

अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त रफीक, जो अपराध संख्या- 473/2025, धारा- 305,331 (4),317 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गगहा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत वांछित अभियुक्त है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.08.2025 की बीती रात में (23 व 24 के बीच) प्रथम सूचनाकर्ता सुधीर सिंह के घर का ताला काटकर अज्ञात चोरो द्वारा रखे गये कीमती सामानो आठ सोने की चूड़ी, चार सोने के कंगन, दो सोने के हार, कान के सेट सहित पन्द्रह नग सोने की अंगूठी, तीन नग सोने का मांगटीका, दो नग नथिया सोने का, चार जोड़ी चांदी की पाजेब, एक नग लॉग सोने की चेन, तीन नग सोने की चेन, एक सोने का लाकेट सेट कान के झाले, एक सेट सोने का कान का कुन्डल, एक सेट सोने का झुमका, दो डायमन्ड रिंग सेट, बारह नग चांदी का सिक्का, एक नग चॉदी का पैर में पहनने वाला गोडहारा, तीन सेट कान का झाला सोने का, एक सेट चांदी का प्लेट, मछली, सुपारी, पान का पत्ता, गिलास, एक नक सोने का मंगलसूत्र का पेन्डल/लाकेट, एक सेट सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला व अन्य आभूषण आदि की चोरी की गयी।

दौरान विवेचना दिनांक 10.09.2025 को सह-अभियुक्तगण इरफान, सोनू, अफरोज, परवेज, चाँद अली उर्फ तौफिक व भीम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता प्रकाश में आयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, कोई जुर्म नहीं किया है उसे पूर्णतया गलत ढंग से प्रस्तुत मामले में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कथित चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता अत्यंत ही विलम्ब से की गई है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त कथित चोरी के अपराध में संलिप्त था। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है और न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया जाना कथित है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, अब कोई विवेचना शेष नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्तगण परवेज, अफरोज, इरफान व तौफिक उर्फ चांद अली की नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त रफीक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त में सम्बन्धित थानाध्यक्ष/न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन मुबलिग 25,000/-रूपये का स्वबन्ध पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाय-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा, तथा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने तक सप्ताह में एक दिन विवेचक/सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेगा।

2- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3- यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

5- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

6- आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।

7- आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
08 जून, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.08 15:24:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court